भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
अतरांकित प्रश्न संख्या 783
गुरुवार, 7 दिसंबर, 2023 / 16 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान के तहत मार्ग

783. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण वायुमार्ग संपर्क उड़ान योजना के तहत प्रारंभ से अब तक कितने मार्ग पर प्रचलन हो रहा है तथा इससे कितने लोगों को लाभ मिला है;

(ख) क्या उड़ान योजना के तहत और मागों को शामिल करने का सरकार का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस सबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में ऐसे मार्गों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उड़ान योजना ने देश में नागर विमानन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और नए विमानों के लिए मांग सृजित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार ने विमानन क्षेत्र में व्यापार में सुगमता में और सुधार करने के लिए वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस हेतु नियमो में संशोधन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क): उड़ान योजना के आरंभ से दिनांक 30.11.2023 तक, 517 आरसीएस मार्गों पर प्रचालन आरंभ किया जा चुका है। अब तक 130 लाख से ज्यादा लोग इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं।

(ख) और (ग): उड़ान एक चालू योजना है, जिसमें योजना के तहत, समय-समय पर अधिक गंतव्यों/स्टेशनों और मार्गों को शामिल करने के लिए बोलियों के दौर आयोजित किए जाते हैं। योजना के तहत प्रचालन हेतु चयनित एयरलाइन प्रचालकों (एसएओ) को उड़ान के चरण 5.0 में मार्ग अवार्ड किए गए हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, देश के सुदूर और क्षेत्रीय भागों से हेलिकॉप्टरों और छोटे विमानों के माध्यम से संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से उड़ान का चरण 5.1 और 5.2 लॉन्च किया गया है।

(घ): अल्प-परिचालित और अपरिचालित हवाईअड्डों से संपर्क बढ़ाकर, क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) ने नागर विमानन क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है। उड़ान योजना के तहत अब तक, 130 से अधिक शहरों के जोड़े बनाए गए हैं और 2.47 लाख उड़ानों का प्रचालन किया जा चुका है।

उड़ान योजना ने देश में विभिन्न प्रकार के विमानों की खरीद को प्रोत्साहित किया है। वर्तमान में उड़ान योजना के तहत प्रचालन हेतु, 3 सीटर टेकनाम, 9 सीटर सेसना 208बी, 19 सीटर ट्विनओटर, 50 सीटर एम्ब्रेयर 145, 42/72/78 सीटर एटीआर और क्यू-400 के साथ-साथ 189 सीटर एयरबस 320/321 और बी737 जैसे बड़े विमानों का उपयोग किया जा रहा है।

13 एयरलाइनों ने उड़ान योजना के तहत प्रचालन शुरू किया है, जिसमें स्टार्ट-अप्स भी शामिल हैं। उड़ान योजना, इंडियावन, स्टार एयर, फ्लाईबिग और फ्लाई91 जैसी नई एयरलाइनों के जन्म का उद्गम स्थल रही है।

(ड.): हाल ही में, विमानन क्षेत्र में व्यापार को और आसान बनाने के लिए वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस जारी किए जाने के संबंध में वायुयान नियमावली 1937 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:-

1. सह-पायलटों को पायलट-इन-कमांड बनने में सक्षम बनाने के लिए वायुयान नियमावली 1937 की अनुसूची II के खंड एम और एन में एयरलाइंस ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (हवाई जहाज/हेलीकॉप्टर) जारी करने के लिए उड़ान अनुभव अपेक्षाओं को आसान बनाया गया है (07 जनवरी 2020 से)।

2. एफ़आरटीओएल (फ्लाइट रेडियो टेलीफोनी लाइसेंस) की वैधता, आरटीआर (रेडियो टेलीफोनी) लाइसेंस की वैधता तक बढ़ाई गई है और छात्र पायलट लाइसेंस (एसपीएल) अवधि की वैधता दिनांक 08 अप्रैल 2022 से पूर्ववर्ती 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है।

3. दिनांक 10 अक्टूबर 2023 से कमर्शियल पायलट और एयरलाइन ट्रांसपोर्ट लाइसेंस की वैधता पूर्ववर्ती 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है।

****